(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

भगवतीप्रसाद बनाम इकबाल हुसैन (वगैरा)

मुकदमा प्रा. पत्र 111-128 नं० 136 सन् 2021

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 10-11-21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर माण्डल	
पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प ग्राम माण्डल मे पेश हुई, अप्रार्थीगण के सम्मन अप्रार्थी सं. 1 लगायत 29, 31, 32, 33, 35 के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिले शा. प. किये गये। प्रतिवादी सं. 8 से 14 व 19, 18, 20 की ओर से प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढ़ी की जावे तो उन्हे कोई आपत्ति नही है। वकील प्रतिवादी सं. 30, 34 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहते है। पटवार हल्का पटवारी माण्डल द्वारा रिपोर्ट पेश हुई जिले शा. प. किया गया। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा. प. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। डॉ. पूजा सक्सेना उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 Signature Not Verified Digitally signed by Pooja Saxena Date: 2021.12.23 14:35:43 IST Reason: SelfAttested	प्रतिवादीयां. 8 से 14 की ओर से पत्थरगढ़ी की जावे तो हमे कोई आपत्ति नही। [signature] एडवोकेट प्रतिवादी सं. 1 व 18 की ओर से पत्थरगढ़ी की जावे तो हमे कोई आपत्ति नही। इकबाल पत्थरगढ़ी हम सभी खातेदारान के समक्ष की जावे। [illegible] मो. [illegible] तनवीर अहमद [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

कदमा संख्या :- 136/21 प्रा.पत्र

श्री भगवती प्रसाद पारोदिया s/o श्री देवाशंकर पारोदिया निवासी माण्डल त० माण्डल भीलवाड़ा प्रार्थी

बनाम

श्री इकबाल हुसैन s/o श्री रुस्तम मोहम्मद नीलगर निवासी नीलगरों का चौक माण्डल त० माण्डल (भी०) विपक्षीगण (प्रह्लादित प्रा०पत्र संलग्न)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश:: दिनांक 10.11.21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर ...न किया कि ग्राम......माण्डल......पटवार हल्का......माण्डल......तहसील मांडल/में उसके ...संयुक्त खातों की आराजी नं......10150/2576, 10152/2577......कुल किता ......02...... ...ी......0.2953......हेक्टेयर......स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी ...यिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है । जिसमें प्रार्थी अपने खाते ...क्त खाते की भूमि की पत्थर गढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक......21.10.21......को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को ...ोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी करने का ...ारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा ...तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक ...त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम......माण्डल...... ...हल्का......माण्डल......तहसील मांडल में स्थित आराजी नं......10150/2576, 10152/2577...... ......कुल किता......02......रकबा......0.2953......हेक्टेयर......— ....चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है । ...ी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक......माण्डल......को ......500/-....../- ...मिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें । ...फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील ...आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें । फसल खड़ी होने ...

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:35:43 IST
Reason: SelfAttested

...अधिकारी
...डल, जिला-भीलवाड़ा
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

...:- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने ...नियमानुसार पत्थरगढ़ी की ...लना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021